अनुदान संख्या 10 - वाणिज्य विभाग
GRANT No. 10 - DEPARTMENT OF COMMERCE

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged-*					
मूल	*Original*	*50,00*		*63,02,00*	*62,49,38*	*-52,62*
पूरक	*Supplementary*	*62,52,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*50,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	4954,34,00		5575,04,00	5431,64,00	-143,40,00
पूरक	Supplementary	620,70,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					135,88,26
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	59,22,00		59,50,00	44,80,08	-14,69,92
पूरक	Supplementary	28,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					14,14,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹50.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रह गया और उसे अंततः अभ्यर्पित कर दिया गया।

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹50.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head and was eventually surrendered.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹14340.00 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹62070.00 लाख के पूरक अनुदान का 23 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹14340.00 lakhs) constituted 23 percent of the supplementary grants of ₹62070.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and 3 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः—

Savings/excess occurred under the following major heads :-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	13350.00	14855.60	14813.01	-42.59
पु.	R.	1505.60			
मुख्य शीर्ष "2407" वृक्षारोपण	Major Head "2407" Plantations				
मू.	O.	100961.00	120756.00	120244.62	-511.38
पु.	R.	19795.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	44729.00	..	..	..
पु.	R.	-44729.00			
मुख्य शीर्ष "3453" विदेशी व्यापार तथा निर्यात संवर्धन	Major Head "3453" Foreign Trade and Export Promotion				
मू.	O.	336394.00	408304.14	408106.37	-197.77
पू.	S.	62070.00			
पु.	R.	9840.14			

(I) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹44930.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹44729.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) "चाय – अन्य व्यय" –

(क) "बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय"– ₹5025.00 लाख;

(ख) "प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना (पीएमसीएसपीवाई)" – ₹34385.00 लाख;

(खा) "कॉफी – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1080.00 लाख;

(गा) "रबर – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2850.00 लाख;

(घा) "मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹849.00 लाख; और

(ड.) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹540.00 लाख।

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2407" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "चाय – पुनः रोपण के लिए सब्सिडी – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2456.18 लाख की बचत (₹6775.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावों को प्रस्तुत करने में विलंब होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित

(I) Provision of ₹44930.00 lakhs remained wholly unutilized under eight heads; of these ₹44729.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Tea-Other Expenditure" -

(a) "Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹5025.00 lakhs;

(b) "Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana (PMCSPY)" - ₹34385.00 lakhs;

(B) "Coffee - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹1080.00 lakhs;

(C) "Rubber - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹2850.00 lakhs;

(D) "Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹849.00 lakhs; and

(E) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - ₹540.00 lakhs.

Provisions under the above six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2407" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Tea - Subsidy for re-plantation - Board Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹2456.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6775.00 lakhs) was due to delay in submission of

अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

claims and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) "कॉफी – वृक्षारोपण के लिए सब्सिडी – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2626.00 लाख की बचत (₹7390.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(B) "Coffee- Subsidies for Plantation - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹2626.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7390.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "मसाले – उपकर संग्रहण के सापेक्ष भुगतान – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹600.00 लाख की बचत (₹5706.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरने में विलंब होने के कारण हुई।

(C) "Spices - Payments against collection of Cess - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5706.00 lakhs) was due to delay in filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "3453" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "3453" - savings occurred under the following heads:-

(का) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1460.00 लाख की बचत (₹27710.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(A) "Assistance for Export Promotion and Market Development - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - saving of ₹1460.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹27710.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage in Indian Institute of Foreign Trade by the Ministry of Finance.

(खा) "अन्य व्यय – अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" – ₹11707.14 लाख की बचत (₹31000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना "भारतीय पैवेलियन ओसाका" जापान की अनुमानित लागत में संशोधन किए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure - International Conferences" - saving of ₹11707.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹31000.00 lakhs) was due to revision of estimated cost of the project "Indian Pavillion Osaka" Japan and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) उपर्युक्त बचत (₹3718.50 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गई, जैसा कि मुख्य शीर्ष "3453" – "व्यापार प्रतिनिधित्व – व्यापार आयुक्त" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹3958.96 लाख था।

2.(I) The above savings were partly (₹3718.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under the Major Head "3453" - "Trade Representation - Trade Commissioners". Actual excess, however, was ₹3958.96 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – वाणिज्य विभाग" – ₹1463.01 लाख का अधिक व्यय (₹13350.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन, भत्ते, विदेश यात्रा व्यय, छुट्टी यात्रा रियायत और किराया, दरों और करों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Commerce" - excess of ₹1463.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13350.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, allowances, foreign travel expenses, leave travel concession and rent, rates and taxes.

(खा) मुख्य शीर्ष "2407" –

(क) "चाय" –

(i) "उपकर संग्रहण के सापेक्ष भुगतान – प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना" – ₹13584.27 लाख का अधिक व्यय (₹15765.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ii) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹3538.11 लाख का अधिक व्यय (₹419.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) "कॉफी – अन्य व्यय – बोर्ड, प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹791.00 लाख का अधिक व्यय (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) "मसाले – अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹1449.00 लाख का अधिक व्यय (₹5647.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) "रबड़" –

(i) "अन्य व्यय – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹3037.00 लाख का अधिक व्यय

(B) Major Head "2407" -

(a) "Tea" -

(i) "Payment against collection of Cess - Pradhan Mantri Cha Shramik Protsahan Yojana" - excess of ₹13584.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15765.00 lakhs);

(ii) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies"- excess of ₹3538.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹419.00 lakhs);

(b) "Coffee - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - excess of ₹791.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs);

(c) "Spices - Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" - excess of ₹1449.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5647.00 lakhs); and

(d) "Rubber" -

(i) "Other Expenditure - Boards Authorities and Autonomous Bodies" -

(₹600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "उपकर संग्रहण के सापेक्ष भुगतान – बोर्ड प्राधिकरण और स्वायत्त निकाय" – ₹2651.00 लाख का अधिक व्यय (₹28020.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हितधारकों को ज्यादा लाभ उपलब्ध कराने के लिए व्यय वित समिति द्वारा ज्यादा आवंटन किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "3453" –

(क) "निर्यात सब्सिडी – लदान पूर्व और बाद में रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण योजना" – ₹16131.00 लाख का अधिक व्यय (₹62069.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹232069.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष की देनदारियों के भुगतान के लिए और मंत्रिमंडल तथा व्यय विभाग द्वारा योजना का विस्तार किए जाने के कारण अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए सहायता" –

(i) "निर्यात संवर्धन और बाजार विकास संगठनों को अनुदान सहायता" – ₹1662.33 लाख का अधिक व्यय (₹18000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ड्यूटी ड्रा बैक योजना के तहत फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा मेसर्स वेदांता लिमिटेड को प्रतिपूर्ति और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के

excess of ₹3037.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹600.00 lakhs).

Excess under the above five heads were due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Payment against collection of Cess - Boards Authorities & Autonomous Bodies" - excess of ₹2651.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28020.00 lakhs) was due to higher allocation by Expenditure Finance Committee to provide more benefit to stakeholders.

(C) Major Head "3453" -

(a) "Export Subsidy - Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit" - excess of ₹16131.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹232069.00 lakhs including supplementary grant of ₹62069.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of liabilities of previous year and extension of scheme by the Cabinet and Department of Expenditure.

(b) "Assistance for Export Promotion and Market Development" -

(i) "Grant-in-aid to export promotion and market Development Organisations" - excess of ₹1662.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards reimbursement to M/s Vedanta Ltd by

निर्देश पर मेसर्स इंडिया सॉ लिमिटेड को टीईडी दावे की प्रतिपूर्ति के लिए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) "निर्यात प्रोत्साहन योजना" – ₹1151.24 लाख का अधिक व्यय (₹23917.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उस गतिविधि को शुरू करने के कारण थी जिसके लिए बाजार पहुंच पहल के तहत हितधारकों को तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट पहले ही जारी की जा चुकी थी।

(ग) "अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – टीएंडटी पर जी.ए. के अनुबंध पक्षों को योगदान" – ₹997.41 लाख का अधिक व्यय (₹3800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विश्व व्यापार संगठन को भारत सरकार के योगदान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹309.00 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 26 प्रतिशत है।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचत (₹1469.92 लाख) दिसंबर, 2024 और मार्च, 2025 में प्राप्त किए गए ₹28.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थी।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

Falta Special Economic Zone under Duty Draw Back Scheme and Kandla Special Economic Zone for reimbursement of TED claim to M/s India Saw Ltd. on the direction of Hon'ble High Court of Delhi.

(ii) "Export Promotion Scheme" - excess of ₹1151.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23917.00 lakhs) was due to taking up the activity for which Technical Feasibility Report has already been issued to stakeholders under Market Access initiative.

(c) "International Co-operation - Contribution to the Contracting Parties to the G.A. on T&T" - excess of ₹997.41 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3800.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Govt. of India's contribution to World Trade Organisation.

(III) Under one head excess of ₹309.00 lakhs occurred constituting 26 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹1469.92 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹28.00 lakhs obtained in December, 2024 and March, 2025 and constituted 25 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major head :-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “5475”	Major Head “5475”				
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय	Capital Outlay on Other General Economic Services				
मू.	O.	5628.00			
पू.	S.	28.00	4252.58	4203.07	-49.51
पु.	R.	-1403.42			

(I) “निदेशन एवं प्रशासन – संबद्ध कार्यालय – आर्थिक सेवाएं” के अंतर्गत ₹973.41 लाख की बचत (₹28.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹4633.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान तुलना में) परियोजना में देरी/पूरा न होने तथा परियोजना के प्रारंभ होने में विलंब के कारण हुई।

(I) Under “Direction and Administration - Attached Offices - Economic Services” - saving of ₹973.41 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹4633.00 lakhs including supplementary grant of ₹28.00 lakhs) was due to delay/non-completion of project and delay in commencement of project.

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹479.52 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत है।

(II) Under one head saving of ₹479.52 lakhs occurred constituting 47 percent of the sanctioned provision.